Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 25-08-2006

Participants : Maheshwari Smt. Kiran

an>

Title : Regarding heavy donations collected by non registered institutions and tax evasion thereto.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : महोदय, आयकर अधिनियम में सार्वजनिक पुन्यार्थ संस्थाओं की कर गणना एवं कर से छूट से संबंधित प्रावधान धारा 11,12,13 में दिये गये हैं। इन धाराओं में कर से छूट लेने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वह संस्था अधिनियम की धारा 12 ए में पहले अपना पंजीकरण करवायें। बिना पंजीकरण के उन्हें कोई भी छूअ इन धाराओं में नहीं मिलती है।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि भारत में लायंक क्लब और रोटरी क्लब के नाम से लगभग 10000 से अधिक संस्थायें देश के सभी शहरों और प्रमुख कस्बों में पिछले 50 सालों से कार्य कर रही है। इनमें से किसी भी संस्था ने आयकर कानून की धारा 12 ए में अपना पंजीकरण नहीं करवा रखा है। ये संस्थायें कम्पनी अधिनियम में संस्था पंजीकरण अधिनियम में अथवा न्यास के रूप में भी पंजीकृत नहीं है। ऐसे में ये संस्थायें मात्र व्यक्तियों का समूह है। इनकी कोइ भी वैधानिक पृथक पहचान नहीं हे।

धारा 12 ए में पंजीकरण नहीं होने से इन संस्थाओं की कुल सकल प्राप्तियां कर गणना के लिये कुल आय मानी जानी चाहिये। पर आयकर विभाग ने अभी तक इन संस्थाओं से कर वसूली की कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है। राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से भी सरकार द्वारा इतने बडे स्तर पर हो रही कर चोरी रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह याचिका भी लगभग 2 सालों से लंबित है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी इस बारे में ज्ञापन दिये गये हैं। पर सरकार ने इन संस्थाओं से कर वसूली के कोइ भी प्रयास ही नहीं किये हैं।

देश में ऐसी लगभग 10000 संस्थायें कार्य कर रही हैं। एक संस्था अपने सदस्यों से व जनता से औसतन 5 लाख रूपया साल भर में संग्रहित करती है। इस पर कर मुक्त आय सीमा के एक लाख रूपयों की छूट देने के बाद भी कर एक लाख बीस हजार रूपया बनता है। इस प्रकार एक साल में लगभग 120 करोड़ रूपयों की कर चोरी की जा रही है। इन पर ब्याज व शस्ति भी 120 करोड रूपया बनती है। पिछले 50 सालों में यह कर चोरी 12000 करोड़ रूपयों की हो जाती है।

---

*The speech was laid on the Table.

लायंस क्लब का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय मुम्बई में स्थित है। इस मुख्यालय द्वारा लगभग 1000 करोड़ रूपयों की प्र ाप्ति की जाती है। यह भी धारा 12 ए में पंजीकृत नहीं है। इसकी कर देयता भी 300 करोड़ रूपया प्रतिर्वा की बनती है। ये संस्थायें स्रोत पर कर कटौती नहीं करने की भी दोाी है।

महोदय, इसी प्रकार ये संस्थायें विदेशों से भी अनुदान प्राप्त करती हैं। विदेशों से अनुदान प्राप्त करने के लिये विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत पूर्व पंजीकरण आवश्यक होता है। इन संस्थाओं ने इस अधिनियम में भी कोई पंजीकरण नहीं करवा रखा है। गृह मंत्रालय कइ बार सूचना देने के बाद भी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

सरकार का इतने बड़े स्तर पर एवं खुली कर चोरी पर मूक दर्शक बना रहना जनता में कई संदेहों को उत्पन्न करता है। सरकार इस बारे में क्या ठोस कार्यवाही कर रही है। इस बारे में सदन को बतायें।